-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 29.05.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **घूम-घूम कर अवैध सूखे गांजे की बिक्री करने वाले 02 अभियुक्तों को थाना नरैनी पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से 1200 ग्राम अवैध सूखा गांजा बरामद।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थाना नरैनी पुलिस द्वारा घूम-घूम कर अवैध सूखे गांजे की बिक्री करने वाले 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब हो कि कल दिनांक 28.05.2025 को देर शाम थाना नरैनी पुलिस द्वारा गश्त एवं चेकिंग के दौरान मुखबिर के माध्यम से अवैध सूखे गांजे की बिक्री करने वाले 02 अभियुक्तों को थाना नरैनी क्षेत्र के के ग्राम नसैनी मोड़ से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से कुल 1200 ग्राम अवैध सूखा गांजा बरामद हुआ। पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि वह सूखे गांजे की छोटी-छोटी पुड़िया बनाकर आस-पास के क्षेत्रों में बेचते है।

बरामदगी-

- 1200 ग्राम अवैध सूखा गांजा

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. विमल कुमार पुत्र रामसदन निवासी तरखरी थाना गिरवां जनपद बांदा।
2. अनिल कुमार पुत्र रामलखन निवासी तरखरी थाना गिरवां जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री अंगिरा प्रसाद दूबे
2. हे0कां0 राजेश कुमार
3. कां0 सतीश कुमार
4. कां0 जितेन्द्र सिंह
5. कां0 अनिल अहिरवार